रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2018/वैशाख 4, 1940
No. 147] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2018/VAISAKHA 4, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

फा. सं. 2(2)/2017-एसपीएस.—भारत सरकार द्वारा औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लिए औद्योगिक विकास स्कीम की घोषणा की जाती है।

1. स्कीम शीर्षक :- इस स्कीम को जम्मू और कश्मीर हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 कहा जाएगा।

2. कवरेज:- इस स्कीम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को कवर किया जाएगा।

3. शुरुआत तथा अवधि:- यह 15.06.2017 से लागू होगी तथा 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी।

4. पात्रता:-

4.1 जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाये, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अवस्थित जैव-प्रौद्योगिकी तथा 10 मेगावाट तक जल विद्युत उत्पादन इकाइयों सहित विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की सभी नयी औद्योगिक इकाइयां और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी।

4.2 यह स्कीम **अनुबंध-I** में सूचीबद्ध उद्योगों के संबंध में लागू नहीं होगी।

4.3 सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां इस स्कीम के एक अथवा अधिक घटकों से लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी, चाहे ऐसी ईकाइयां भारत सरकार की अन्य स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हों।

4.4 सेवा क्षेत्र की औद्योगिक ईकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस विशेष सेवा उद्योग के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक वास्तविक परिसंपत्तियां शामिल होंगी लेकिन इसमें भूमि और उपभोज्य, डिस्पोजेबल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी।

4.5 नयी औद्योगिक इकाइयां और पर्याप्त विस्तार करने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाइयां इस योजना के तहत पात्र होंगी। एक नई ईकाई को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: -

(क) पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्गठन से इसका निर्माण न हुआ हो।

(ख) पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र या मशीनरी के किसी नई ईकाई में हस्तांतरण से इसका निर्माण न हुआ हो।

(ग) यह अन्यत्र से विस्थापित नहीं की गई हों और/अथवा यह पहले से मौजूद ईकाई नहीं होनी चाहिए जिसे नया नाम एवं स्टाइल दिया गया हो।

5. परिभाषाएं

(क) **'वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत'** से तात्पर्य है वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार माल के विनिर्माण की शुरूआत जिसका पहले परीक्षण उत्पादन हो चुका हो तथा सम्पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी का संस्थापन हो चुका हो तथा उस दिन संयंत्र वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादों के विनिर्माण के लिए हर प्रकार से तैयार हो तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल, उपभोग वस्तुएं आदि उपलब्ध हों तथा यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों के पास पंजीकरण की तारीख के अनुसार हों।

(ख) **'प्रभावी कदम'** से आशय, निम्नलिखित एक अथवा अधिक कदमों से है:-

(i) औद्योगिक इकाई के लिए जारी की गई पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का भुगतान किया जा चुका हो।

(ii) फैक्ट्री भवन के किसी हिस्से का निर्माण हो चुका हो।

(iii) औद्योगिक इकाई के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र अथवा मशीनरी के लिए फर्म आर्डर दिया जा चुका हो।

(ग) **'तैयार माल'** का अर्थ है वस्तुत: किसी औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित वह माल जिसके लिए वह पंजीकृत है।

(घ) **'औद्योगिक इकाई'** का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित इकाई के अलावा कोई औद्योगिक उपक्रम अथवा पात्र सेवा क्षेत्र इकाई जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।

(ङ) **'विनिर्माण कार्य'** का अर्थ है 'वह कार्य जो निर्जीव भौतिक वस्तु अथवा मद अथवा चीज में परिवर्तन लाता है (i) जिसके परिणामस्वरूप वस्तु, मद अथवा चीज का एक नये तथा विशिष्ट वस्तु अथवा मद अथवा चीज में कायान्तरण होता है जिसका अलग नाम, गुण तथा इस्तेमाल होता है; अथवा (ii) जिससे एक अलग रासायनिक मिश्रण अथवा भिन्न ढ़ांचे के साथ एक नयी तथा विशिष्ट वस्तु, मद अथवा चीज का निर्माण होता है।'

(च) **'योग्य सेवा क्षेत्र इकाई'** सेवा क्षेत्र में एक उद्यम है, जिसमें काफी पूंजी व्यय की आवश्यकता है और इसमें अत्यधिक रोजगार सृजन क्षमता है।

(छ) **'नई औद्योगिक इकाई'** का अर्थ है वह औद्योगिक इकाई जिसने 15 जून, 2017 को अथवा इसके बाद परन्तु 31 मार्च, 2022 से पहले औद्योगिक ईकाई के रूप में डीआईपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराया हो। ऐसी ईकाई को पंजीकरण से 18 माह के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करना होगा।

(ज) **'मौजूदा औद्योगिक इकाई'** का मतलब एक औद्योगिक इकाई जिसने 15.06.2017 से पहले व्यावसायिक उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया है।

(झ) **'पर्याप्त विस्तार'** का अर्थ है - क्षमता विस्तार/ आधुनिकीकरण तथा परिवर्तन के प्रयोजन के लिए औद्योगिक इकाई की संयंत्र एवं मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में कम से कम 25% बढ़ोतरी।

(ञ) **'भौतिक कार्यशील पूंजी'** को फैक्ट्री द्वारा लेखा वर्ष के अंतिम दिवस को अपने स्वामित्व अथवा धारित अथवा नियंत्रणाधीन समस्त भौतिक माल सूचियों यथा सामग्रियां, ईंधन एवं स्नेहक, भंडारण आदि जिसका इस्तेमाल स्वयं फैक्ट्री द्वारा विनिर्मित उत्पाद में अथवा प्रसंस्करण हेतु अन्य को फैक्ट्री द्वारा आपूरित उत्पाद में इस्तेमाल होता है, को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। भौतिक कार्यशील पूंजी में सामग्री भंडार, ईंधन एवं अन्य भंडार आदि, जिसे स्पष्ट तौर पर पुन: बिक्री के लिए खरीदा गया हो, अर्द्ध-तैयार माल तथा अन्यों का प्रगति पर कार्य तथा फैक्ट्री द्वारा बनाया गया माल जो लेखा वर्ष के अंत में बिक्री के लिए तैयार हो, शामिल है। तथापि, इसमें प्रसंस्करण हेतु अन्यों द्वारा फैक्ट्री को आपूरित सामग्री भंडार, ईंधन, भंडार आदि शामिल नहीं है।

फैक्ट्री द्वारा आपूरित कच्चे माल से अन्यों द्वारा प्रसंसाधित तैयार माल तथा उनके द्वारा धारित माल को शामिल किया गया है तथा अन्यों द्वारा आपूरित कच्चे माल से फैक्ट्री द्वारा प्रसंसाधित तैयार माल को शामिल नहीं किया गया है।

(ट) **'कच्चा माल'** का अर्थ है तैयार माल के विनिर्माण में किसी औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुत: अपेक्षित तथा इस्तेमाल किया गया कच्चा माल जिसके लिए अनुरोध किया गया है।

(ठ) **'कार्यशील पूंजी'** उपर्युक्त पैरा (ञ) में यथापरिभाषित भौतिक कार्यशील पूंजी तथा हस्तगत नकदी तथा बैंक में जमा तथा लेखा वर्ष के अंत में देय राशि पर प्राप्य राशि के निवल शेष की कुल राशि है।

तथापि, अन्य अप्रयुक्त ओवर ड्राफ्ट सुविधा, समयावधि पर ध्यान दिए बिना मियादी जमा, स्थिर परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए अग्रिमों, ऋणों तथा स्वामियों एवं भागीदारों द्वारा उनके प्रयोजन एवं समयावधि पर ध्यान दिए बिना अग्रिम, ब्याज सहित दीर्धावधि ऋणों तथा निवेशों को कार्यशील पूंजी से बाहर रखा गया है।

(ड) **'संयंत्र और मशीनरी'** में स्थल पर स्थापित नए खरीदे गए औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी शामिल होंगे। अन्यत्र से विस्थापित/रिसाइकिल/रिफर्बिश्ड संयंत्र और मशीनरी इस स्कीम के तहत सहायता के पात्र नहीं हैं। स्कीम और किसी विनिर्माण ईकाई में शामिल किए जाने वाले/हटाए जाने वाले घटक **अनुबंध – II** में दिए गए हैं। मशीनरी की खरीद सामान्य मूल्य पर खुले बाजार से की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या यह खरीद नजदीकी प्राप्य मूल्य प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना किसी संबंधित पक्ष से की गई है।

6. पात्र औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन, प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे:

1. ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)
2. केंद्रीय ब्याज राजसहायता (सीआईआई)
3. केंद्रीय व्यापक बीमा राजसहायता (सीसीआईआई)

6.1 एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी जिसके अध्यक्ष सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग होंगे तथा इसमें व्यय विभाग के सचिव तथा नीति आयोग के प्रतिनिधि तथा उस उद्योग के मामले से जुड़े भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा जम्मू और कश्मीर राज्य जहां पर इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु प्रोत्साहन का दावा करने वाली लाभार्थी इकाई अवस्थित है, के संबंधित मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग) शामिल होंगे। प्रोत्साहनों के प्रस्तावों की जांच करते समय लागत पहलू, परियोजना व्यवहार्यता, बैंक योग्यता तथा प्रोत्साहन प्रदाता जोखिम पूंजी जैसे कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के अंतर्गत आने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.2 ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)

6.2 (क) जम्मू और कश्मीर राज्य में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की कहीं पर भी अवस्थित सभी पात्र नयी औद्योगिक इकाइयों और विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के पर्याप्त विस्तार पर उन्हें ऋण के लिए 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र एवं मशीनरी में पात्र निवेश के 30% के हिसाब से केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

6.2 (ख) डीआईपीपी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा सहायता प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने से पहले किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना लागत का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परियोजना रिपोर्ट पर पूंजिगत व्यय और मंजूरी पत्र तैयार होने के संबंध में बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर तथा संयंत्र एवं मशीनरी के काम शुरू करने पर सम्पूर्ण सहायता जारी कर दी जाएगी।

6.2 (ग) सरकार की लागत के बढ़ने की अवस्था में सहायता राशि बढ़ाने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। परियोजना के समय-पूर्व बंद होने अथवा बीच में ही छोड़े जाने की अवस्था में सरकार द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण सहायता को डीआईपीपी को लौटाना होगा।

6.3 **केंद्रीय ब्याज राजसहायता (सीआईआई)**

6.3 (क) जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी भी स्थान पर अवस्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के पर्याप्त विस्तार पर उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने की तारीख से प्रथम 5 वर्षों तक अनुसूचित बैंकों अथवा केंद्रीय/ राज्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अग्रिम कार्यशील पूंजी ऋण पर 3% के हिसाब से ब्याज राजसहायता प्रदान की जाएगी। इस राजसहायता को इस तरह प्रतिबंधित किया जाएगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि ऋणदाता संस्था के फंड आधारित ऋण-दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत से राजसहायता कृत ब्याज-दर कम नहीं हो।

6.3 (ख) इस स्कीम के प्रयोजनार्थ किसी इकाई की कार्यशील पूंजी अपेक्षा को उनके वार्षिक कारोबार के 25% तक सीमाबद्ध किया जाएगा। उपर्युक्त अधिकतम स्तर की व्यवस्था हो जाने के बाद माल सूची मानदंड लागू हो सकते हैं, यदि आवश्यक हो। ऐसी इकाइयों जिनके लिए मानदंड निर्धारित/लागू नहीं हैं, के संबंध में कार्यशील पूंजी संबंधी अनुरोध पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा कार्यशील पूंजी उक्त अधिकतम स्तर से अधिक न हो, के संदर्भ में सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए। माल सूची तथा प्राप्तियों के लिए विशेष मानदंड भी तैयार किए जा सकते हैं।

6.4 **केंद्रीय व्यापक बीमा राजसहायता (सीसीआईआई)**

6.4 (क) जम्मू और कश्मीर राज्य में किसी भी स्थान पर अवस्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयां और पर्याप्त विस्तार वाली विद्यमान औद्योगिक इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए भवन परिसरों तथा संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।

6.4 (ख) बीमा राजसहायता के प्रयोजनार्थ, औद्योगिक इकाई का अर्थ है कोई उद्योग जो अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार अग्नि नीति 'ग' में शामिल है। यह नीति प्रस्तावक द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर बीमा कंपनी द्वारा जारी की जाएगी।

7. **अनिवार्य अपेक्षा**

7.1 इस स्कीम के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि इस स्कीम के अंतर्गत लाभ हेतु पात्रता से पहले सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को इस स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल के जरिए पूर्व पंजीकरण कराना होगा। इस संबंध में, एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विकसित की जाएगी जिसके अंतर्गत आवेदकों को डीपीआर के साथ आवेदन जमा कराने होंगे।

7.2 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल हेतु अलग से विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

7.3 पंजीकरण/सिद्धांतत: अनुमोदन के संबंध में इस समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक इकाई की प्राथमिक पात्रता, बजट की उपलब्धता पर विचार करेगी तथा इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्रता का निर्णय करेगी। कोई भी औद्योगिक इकाई जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण अथवा लाभों का दावा करने का हक नहीं रख सकेगी बशर्ते कि यह केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित हो। राजसहायता के भुगतान में विलम्ब की वजह को लेकर किसी प्रकार के ब्याज का किसी इकाई द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकता। इस स्कीम के लाभार्थी को इस स्कीम के शर्त तथा निबंधन का अनुपालन करने का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.4 इन इकाइयों को अनुमोदन प्राप्त होने के 18 माह की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।

7.5 जिन ईकाइयों ने 15.06.2017 को अथवा इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है उन्हें 30.09.2018 तक डीआईपीपी में पंजीकरण की अनुमति होगी।

8. **नोडल एजेंसी**

8.1 जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड (जेकेडीएफसी) इस स्कीम के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के संवितरण हेतु एक नोडल एजेंसी होगी। जेकेडीएफसी पात्र औद्योगिक इकाइयों के नामित बैंक खातों में केवल ई-ट्रांसफर के जरिए राजसहायता जारी करेगा।

9. **दावों की जांच प्रक्रिया**

9.1 डीआईपीपी में पूंजीनिवेश प्रोत्साहन तथा परिवहन राजसहायता के अंतर्गत प्राप्त राजसहायता के दावों की एक पंजीकृत स्वतंत्र लेखा-परीक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व-समीक्षा की जाएगी। जेकेडीएफसी हर बार जारी किए गए दावों के 10% की लेखा परीक्षा पश्चात जांच करेगा। डीआईपीपी के मुख्य लेखा नियंत्रक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जारी किए गए राजसहायता दावों के 20% की लेखा परीक्षा करेंगे।

9.2 सरकार के पास इस स्कीम के किसी भी भाग में जनहित में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

9.3 इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन करने तथा आवश्यक अनुदेश जारी करने की अपेक्षा होगी।

10. केंद्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार

10.1 यदि केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्था को इस बात की पुष्टि हो कि किसी औद्योगिक इकाई ने जाली सूचना देकर धोखे से राजसहायता प्राप्त की है, अथवा यदि यह इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के बाद 5 वर्ष के भीतर उत्पादन बंद कर देती है तो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/जेकेडीएफसी उस इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ऐसी इकाई को अनुदान अथवा राजसहायता लौटाने के लिए कह सकते हैं। यह राजसहायताएं डिजिटल भुगतान के जरिए जारी की जाएंगी तथा जेकेडीएफसी लाभार्थी औद्योगिक इकाइयों के संबंध में डीबीटी मिशन द्वारा अपेक्षित सभी सूचना एकत्रित करेगा। जेकेडीएफसी लाभार्थी ईकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से इस संबंध में एक शपथपत्र ले सकता है। स्कीम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली लाभार्थी ईकाई को राजसहायता के वितरण से पूर्व औद्योगिक ईकाई और जेकेडीएफसी के बीच एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

10.2 दी गई सूचना को जान-बूझ कर छुपाने अथवा तीसरे पक्ष के जरिए धोखा करने अथवा गैर-जम्मू और कश्मीर उत्पादन के लिए दावे करने अथवा इसी प्रकार के कदाचार करने पर औद्योगिक इकाई के भावी दावे जब्त कर लिए जाएंगे तथा पूर्व में दी गई सभी राजसहायताओं की वसूली 15% वार्षिक ब्याज की दर से की जाएगी।

10.3 केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्था के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी औद्योगिक इकाई के स्वामी को आंशिक अथवा समग्र राजसहायता प्राप्त करने के बाद किसी औद्योगिक इकाई के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई के स्वामित्व को परिवर्तित करने अथवा इकाई के आकार में बदलाव करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के अंदर इसके कुल तय पूंजी निवेश के बड़े हिस्से को बेचने की अनुमति नहीं होगी। ईकाई द्वारा स्थल अथवा संपर्क सूत्र में किसी परिवर्तन के संबंध में डीआईपीपी को सूचित करना भी अपेक्षित है।

10.4 उन सभी इकाइयों को जिनको जेकेडीएफसी द्वारा राजसहायता वितरित की गई है, दिए गए आशय हेतु सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रपत्र 12 (ग) में राजसहायता के इस्तेमाल का प्रमाण-पत्र औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को संबंधित वित्तीय संस्था/राज्य सरकार द्वारा अंतिम किश्त/पूर्ण राशि प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

10.5 राजसहायता प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक औद्योगिक इकाई को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार को उत्पादन के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन जारी रखने के संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) प्रस्तुत करनी होगी।

11. विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

डॉ. वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग

(ii) जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्य सचिव।

(iii) जम्मू और कश्मीर राज्य के सचिव (उद्योग)

(iv) जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास वित्त निगम (जेकेडीएफसी) लिमिटेड

प्रति प्रेषित:

(i) मंत्रिमंडल सचिवालय

(ii) प्रधानमंत्री कार्यालय

अनुबंध - I

निषेध-सूची

जम्मू और कश्मीर हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 के अंतर्गत निम्नलिखित उद्योग लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे:

(i) केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से संबंधित हैं।

(ii) केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अंतर्गत आने वाले पान मसाला

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 705(अ),दिनांक 02.09.1999 तथा का.आ. 698(अ), दिनांक 17.06.2003 के अंतर्गत विशिष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसार 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियां।

(iv) पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम,1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला सामान।

(v) पौधरोपण, शोधशालाएं तथा 10 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन इकाइयां।

(vi) कोक (कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित), फ्लाई ऐश, सीमेंट, स्टील रोलिंग मिल।

(vii) पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) अथवा संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाइयां इस स्कीम के अंतर्गत राजसहायता हेतु पात्र नहीं होंगी।

(viii) उच्च कीमत के पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर भंडारण के दौरान संरक्षण, साफ-सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि-पैकिंग अथवा रि-लैबलिंग, छंटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्धन कार्यकलापों की अनुमति होगी।

(ix) सरकार द्वारा कभी भी आवश्यक समझे जाने पर एक अलग अधिसूचना के माध्यम से निषेध सूची में शामिल कोई अन्य उद्योग/कार्य। यह ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

(x) गोल्ड और गोल्ड डोर ।

अनुबंध-II

क. विनिर्माण क्षेत्र में सीसीआईआईएसी के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना हेतु शामिल किए जाने वाले घटक:

(i) कर और शुल्क सहित औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी की लागत अर्थात विनिर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उत्पादन उपकरण की लागत

(ii) उत्पादक उपकरण जैसे टूल्स, जिग्स, डाई और मोल्ड, इन्श्योरेंस प्रीमियम आदि की कर और शुल्क सहित लागत।

(iii) संयंत्र की ओर जहां मीटर लगाया गया है, से तैयार वस्तुओं के उत्पादन/डिस्पैच वाले स्थान तक संयंत्र के प्रचालन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रिकल घटक (अर्थात् एच.टी. मोटर, एल.टी. मोटर, स्विच बोर्ड, पैनल, कैपेसिटर, रिले, सर्किट ब्रेकर, पैनल बोर्ड, स्विच गियर)।

(iv) आपूर्तिकर्ता के परिसर से इकाई के स्थान तक संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण लाने के लिए भुगतान किया गया मालभाड़ा।

(v) भुगतान किया गया ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम।

(vi) उस स्थान तक माल को ढोने में निवेश की गई राशि जहां कच्चे माल के परिवहन और तैयार माल के विपणन के लिए उसका उपयोग किया गया।

ख. विनिर्माण क्षेत्र में सीसीआईआईएसी के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना हेतु निम्नलिखित घटकों को शामिल नहीं किया जाएगा:

(i) माल चढ़ाने और उतारने का भाड़ा

(ii) संयंत्र और मशीनरी के लिए शेड/भवन

(iii) डीजी सेट, उत्खनन/खनन संबंधी उपकरण, हैंडलिंग उपकरण, ऊपर क (iii) में जिनका उल्लेख किया गया है, उन्हें छोड़कर अन्य इलेक्ट्रिकल घटकों जैसी विविध नियत परिसंपत्तियां

(iv) कच्चे माल और अन्य उपभोज्य भण्डारों सहित कार्यशील पूंजी

(v) चालू करने संबंधी लागत

(vi) कैपटिव पावर प्लांट

(vii) भण्डारण उपकरण

(viii) वजन तोलने का उपकरण (वे ब्रिज), प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण

ग. विनिर्माण क्षेत्र में उत्थापन एवं स्थापना संबंधी प्रभारों की स्वीकार्यता

उत्थापन एवं स्थापना संबंधी प्रभार का भुगतान, वास्तविक आधार पर किया जाएगा और औद्योगिक इकाई को ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन टिप्पणी में निर्धारित लागत तक सीमित होगा।

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Industrial Policy & Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2018

F. No. 2(2)/2017-SPS.—The Government of India is pleased to announce Industrial Development Scheme for the State of Jammu & Kashmir to boost industrialization.

1. Scheme title: - The scheme will be called Industrial Development Scheme for Jammu and Kashmir, 2017.

2. Coverage: - The scheme will cover the State of Jammu and Kashmir.

3. Commencement and duration: - It will be effective from 15.06.2017 and will remain in force up to 31.03.2022.

4. Eligibility:

4.1 Unless otherwise specified, all new industrial units and existing industrial units undertaking substantial expansion in manufacturing sector and services sector including Bio-technology and Hydel Power Generation Units up to 10 MW located in the State of Jammu & Kashmir , will be eligible for incentives under the scheme.

4.2 The scheme shall not be applicable to the industries listed in the **Annexure – I.**

4.3 All eligible industrial units will be entitled to benefits under one or more components of this scheme, even if such units are getting benefits under other schemes of the Government of India.

4.4 Plant and Machinery for the service sector industrial unit shall include cost of construction of building and all other durable physical assets basic to the running of that particular service industry but exclude cost of land and consumables, disposables or any other item charged to revenue.

4.5 New industrial units and existing industrial units underaking substantial expansion shall be eligible under the scheme. A new unit will be required to fulfil the following conditions:-

(a) it is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.

(b) it is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose.

(c) it has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style.

5. Definitions

(a) 'Commencement of Commercial Production' means starting of manufacture of finished products on commercial scale which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery and on that day the plant must be ready in all respects for manufacture of finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available and as per date of registration with Central Excise/Goods and Services Tax (GST) authorities.

(b)'Effective steps' means one or more of the following steps:-

(i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up.

(ii) that any part of the factory building has been constructed.

(iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.

(c) 'Finished Goods' means the goods actually produced by an industrial unit and for which it is registered.

(d) 'Industrial Unit' means any industrial undertaking or eligible service sector unit, other than that run departmentally by Government, which is a registered business enterprise under Goods & Services Tax.

(e) '**Manufacturing Activity'** means 'an activity which brings about a change in non-living physical object or article or thing (i) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (ii) bringing into existence of a new and distinct object, article or thing with a different chemical composition or integral structure'.

(f) '**Eligible Service Sector Unit'** is an enterprise in the services sector that requires significant capital expenditure and has significant employment generation potential.

(g) 'New industrial unit' means an industrial unit which registers itself on DIPP portal on or after the 15th day of June, 2017 but not later than 31st day of March, 2022. Such units have to commence commercial production/ operation within 18 months of registration.

(h) 'Existing Industrial unit' means an industrial unit which commences commercial production/ operation before 15.06.2017.

(i) 'Substantial expansion' means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in Plant & Machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity / modernization and diversification.

(j) 'Physical Working Capital' is defined to include all physical inventories owned, held or controlled by the factory as on the closing day of the accounting year such as the materials, fuels & lubricants, stores etc., that enter into products manufactured by the

factory itself or supplied by the factory to other for processing. Physical working capital also includes the stock of materials, fuels & stores etc., purchased expressly for re-sale, semi-finished goods and work in progress on account of others and goods made by the factory which are ready for sale at the end of the accounting year. However, it does not include the stock of the materials, fuels, stores etc. supplied by others to the factory for processing. Finished goods processed by others from raw materials supplied by the factory and held by them are included and finished goods processed by the factory from raw materials supplied by others are excluded.

(k) **'Raw Material'** means any raw material actually required and used by an industrial unit in manufacturing of the finished goods for which it is requested.

(l) **'Working Capital'** is the sum total of the physical working capital as defined in Para (j) above and the cash deposits in hand and at bank and the net balance of amounts receivable over amounts payable at the end of the accounting year.

Working capital, however, excludes unused overdraft facility, fixed deposits irrespective of duration, advances for acquisition of fixed assets, loans and advances by proprietors and partners irrespective of their purpose and duration, long term loans including interest thereon and investments.

(m) **'Plant and Machinery'** shall cover the cost of newly purchased industrial plant and machinery as erected at site. Relocated / Recycled / Refurbished plant and machinery is not eligible for assistance under the Scheme. Components to be included / excluded for the purpose of scheme and for a manufacturing unit is at **Annexure II**. The purchase of machinery should be from open market at normal market price. It will be ascertained whether the purchase has been made from a Related Party without following an arms-length price discovery.

6. The following incentives will be provided to eligible industrial units on reimbursement basis:

1. Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)
2. Central Interest Incentive (CII)
3. Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)

6.1 There will be an Empowered Committee chaired by Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion with Secretaries of D/o Expenditure, representative of NITI Aayog and Secretary of the concerned Ministries/Departments of Government of India dealing with the subject matter of that industry as its members as also the concerned Chief Secretary/Secretary (Industry) of the State of Jammu & Kashmir where the beneficiary unit claiming incentive is located for selection of beneficiaries under the scheme. While examining the proposals for incentive, due consideration will be given to factors like cost disadvantage, project viability, bankability, employment generation and promoters' risk capital. Preference will also be given to eligible industrial units under the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

6.2 Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)

6.2(a) All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion in the manufacturing and service sector located anywhere in the State of Jammu & Kashmir will be provided Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC) @ 30% of the investment in plant and machinery with an upper limit of Rs.5.00 crore.

6.2(b) The project cost will need to be appraised by a Scheduled Commercial Bank or Financial Institution before the proposal of assistance is approved by the Empowered Committee of DIPP. Full assistance will be released on the basis of certificate issued by Competent Authority of the bank that the capex on the project report and sanction thereof is in place and Plant & Machinery has been put to use.

6.2(c) The government does not commit itself to increase in the scale of assistance in case of cost escalation. In case the project is foreclosed or abandoned midway the entire assistance released by government will be refunded to DIPP.

6.3 Central Interest Incentive (CII)

6.3(a) All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion located anywhere in the state of Jammu & Kashmir shall be given an interest incentive @3% on working capital credit advanced by the scheduled banks or central/state financial institutions for first 5 years from the date of commencement of commercial production/ operation. The incentive will be so restricted as to ensure that subsidized interest rate is not below the Marginal Cost of funds based Lending Rates (MCLR) of the lending institution.

6.3(b) For the purpose of this scheme, the working capital requirement of a unit shall be capped at @ 25 % of their annual turnover. Inventory norms may be applied, if necessary, after providing for aforesaid maximum level. In respect of such units for which norms have not been laid down/are not applicable, the request of working capital should be considered favourably by the Empowered Committee so long as the working capital is not very much above such maximum level. Special norms can also be evolved for inventory and receivables.

6.4 Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)

6.4(a) All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion located anywhere in the State of Jammu & Kashmir will be eligible for reimbursement of 100% insurance premium on insurance of building and Plant & Machinery for a maximum period of 5 years from the date of commencement of commercial production/ operation.

6.4(b) For the purpose of insurance incentive, 'industrial unit' shall mean any industry which is included in Fire Policy 'C' as per All India Fire Tariffs. The policy shall be issued by the Insurance Company on market valuation to be declared by the proposer.

7. Mandatory requirement

7.1 The Scheme requires that all eligible industrial units would have to register under the Scheme with Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, through the portal prior to being eligible for any benefit under this scheme. In this regard, an online application process shall be developed under which the applicants have to submit applications along with the DPR.

7.2 The Department of Industrial Policy and Promotion would separately issue detailed instructions for the use of online portal for Industrial Development Scheme for Jammu & Kashmir and registration of eligible units.

7.3 The final grant of registration/in-principle approval will be decided by the Committee, which will, inter-alia, consider the prima-facie eligibility of the industrial unit, availability of budget and decide the eligibility for registration under the Scheme. No Industrial unit will have the right to register under Industrial Development Scheme for Jammu & Kashmir or claim the benefits unless it is specifically approved by the Central Government. No interest on account of delay in payment of incentive can be claimed by the unit. The beneficiary of this scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the scheme.

7.4 The units should start commercial production within 18 months of approval.

7.5 Units which have commenced production on or after 15.6.2017 will be allowed to register with DIPP up to 30.09.2018.

8. Nodal agency

8.1 The Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd. (JKDFC) will be the nodal agency for disbursal of incentives under various components of the Scheme. JKDFC will release incentive only through e-transfer to designated bank accounts of the eligible industrial units.

9. Process of Scrutiny of claims

9.1 Incentive claims under Capital Investment Incentive received in DIPP will be pre-scrutinized by a recognized independent audit agency.JKDFC will conduct post-audit of 10% of claims released every time. The Chief Controller of Accounts of DIPP will also conduct post-audit of 20% of incentive claims released in each financial year.

9.2 Government reserves the right to modify any part of the Scheme in public interest.

9.3 All concerned Ministries/Department of Government of India are required to amend their respective Acts/Rules/Notification etc. and issue necessary instructions for giving effect to these decisions.

10. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions

10.1 If the Central Government/State Government/Financial Institution concerned is satisfied that an industrial unit has obtained incentive(s) by misrepresenting an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of commercial production/ operation within 5 years after commencement of commercial production/ operation, the Central Government/State Government/JKDFC may ask the unit to refund the grant or incentive after giving an opportunity of being heard to the unit. The incentive(s) will be released through digital payment and JKDFC would collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary industrial units. JKDFC may take an affidavit in this regard from authorized signatory of the beneficiary unit. An indemnity bond may also be signed between the industrial unit and JKDFC prior to disbursement of incentives, providing for undertaking on the part of the beneficiary unit to comply with all the requirement of the scheme.

10.2 Concealment of input supplies or routing of third party or non-J&K production for claims or malpractices of similar kinds will render the industrial unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous subsidies with interest @ 15% per annum.

10.3 Without taking prior approval of the Union Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion)/State Government/Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the incentive will be allowed to change the ownership of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or dispose of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into commercial production. The unit will also be required to keep DIPP informed about change in location or contact information.

10.4 In respect of all units to whom the incentive is disbursed by JKDFC,certificate of utilization of the incentive(s) in Form 12(C) of General Financial Rules, 2017 for the purpose for which it was given shall be furnished to the Department of Industrial Policy and Promotion by the financial institution/State Government concerned, within a period of three months from the date of receipt of the last installment/full amount.

10.5 After receiving the incentive(s), each industrial unit shall submit Annual Progress Report (APR) to the Department of Industrial Policy and Promotion/State Government concerned, about its working for a period of 5 years after going into production.

11. Detailed guidelines shall be issued separately.

Dr. VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Copy for information and necessary action to:

(i) All Ministries/Departments of the Government of India and NITI Aayog.

(ii) Chief Secretary of the State of Jammu & Kashmir.

(iii) Secretary (Industries) of State of Jammu & Kashmir.

(iv) The Jammu & Kashmir Development Finance Corporation (JKDFC) Ltd.

Copy also to:

(i) Cabinet Secretariat

(ii) PMO

Annexure – I

Negative List:

The following industries will not be eligible for benefits under Industrial Development Scheme for J & K, 2017 :

(i) All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.

(ii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).

(iii) Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705(E) dated 02.09.1999 and S.O. 698(E) dated 17.6.2003.

(iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.

(v) Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.

(vi) Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash, Cement, Steel Rolling Mills

(vii) Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for incentive under the scheme.

(viii) Low value addition activities like preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.

(ix) Any other industry/activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such notification.

(x) Gold and gold dore.

Annexure-II

A. Components to be included for computing the value of Plant and Machinery under CCIIAC in the manufacturing sector :

(i) Cost of Industrial Plant & Machinery including taxes and duties i.e. cost of mother production equipment used for carrying out manufacturing activities.

(ii) Cost of Productive equipment such as tools, jigs, dyes and moulds, insurance premium etc. including taxes and duties.

(iii) Electrical components necessary for plant operation on the plant side from where meter is installed up to the point where finished goods is to be produced/ dispatched (i.e. H.T. Motors, L.T. Motors, Switch Boards, Panels, Capacitors, Relay, Circuit Breakers, Panel Boards, Switchgears).

(iv) Freight charges paid for bringing Plant & Machinery and equipment from the supplier's premises to the location of the unit.

(v) Transit Insurance premium paid.

(vi) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilized for transport of raw materials and marketing of the finished products.

B. Components which will not be considered for computing the value of Plant & Machinery under CCIIAC in the manufacturing sector :

(i) Loading and unloading charges

(ii) Sheds/ buildings for Plant & Machinery

(iii) Miscellaneous fixed assets such as DG sets, Excavation/ Mining equipments, handling equipments, electrical components other than those mentioned at A (iii) above.

(iv) Working Capital including Raw Material and other consumable stores.

(v) Commissioning cost

(vi) Captive Power Plants

(vii) Storage equipments

(viii) Weigh bridge, Laboratory testing equipment.

C. Admissibility of erection and installation charges in the manufacturing sector

Erection and installation charges will be payable on actual basis and will be restricted to the cost indicated in the Appraisal Note of the Financial Institutions which provided loan to the industrial unit.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

फा. सं. 2(2)/2017-एसपीएस.—भारत सरकार द्वारा औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 की घोषणा की जाती है।

1. **स्कीम शीर्षक :-** इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश (एचपी) और उत्तराखंड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 कहा जाएगा।

2. **कवरेज:-** इस स्कीम में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को कवर किया जाएगा।

3. **शुरूआत तथा अवधि:-** यह 01.04.2017 से लागू होगी तथा 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी।

4. **पात्रता:-**

4.1 जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाये, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में अवस्थित जैव-प्रौद्योगिकी तथा 10 मेगावाट तक जल विद्युत उत्पादन इकाइयों सहित विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की सभी नयी औद्योगिक इकाइयां और पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी।

4.2 यह स्कीम **अनुबंध-I** में सूचीबद्ध उद्योगों के संबंध में लागू नहीं होगी।

4.3 सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां इस स्कीम के एक अथवा अधिक घटकों से लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी, चाहे ऐसी इकाइयां भारत सरकार की अन्य स्कीमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हों।

4.4 सेवा क्षेत्र की औद्योगिक ईकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस विशेष सेवा उद्योग के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक वास्तविक परिसंपत्तियां शामिल होंगी लेकिन इसमें भूमि और उपभोज्य, डिस्पोजेबल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी।

4.5 नयी औद्योगिक इकाइयां तथा व्यापक विस्तार वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां इस योजना के तहत पात्र होंगी। एक नई इकाई को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: -

(क) पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन अथवा पुनर्गठन से इसका निर्माण न हुआ हो।

(ख) पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र या मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तांतरण से इसका निर्माण न हुआ हो।

(ग) यह अन्यत्र से विस्थापित नहीं की गई हों और/अथवा यह पहले से मौजूद ईकाई नहीं होनी चाहिए जिसे नया नाम एवं स्टाइल दिया गया हो।

5 परिभाषाएं

(क) **'वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत'** से तात्पर्य है वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार माल के विनिर्माण की शुरूआत जिसका पहले परीक्षण उत्पादन हो चुका हो तथा सम्पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी का संस्थापन हो चुका हो तथा उस दिन संयंत्र वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादों के विनिर्माण के लिए हर प्रकार से तैयार हो तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल, उपभोग वस्तुएं आदि उपलब्ध हों तथा यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों के पास पंजीकरण की तारीख के अनुसार हों।

(ख) **'प्रभावी कदम'** से आशय, निम्नलिखित एक अथवा अधिक कदमों से है:-

a. औद्योगिक इकाई के लिए जारी की गई पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का भुगतान किया जा चुका हो।

b. फैक्ट्री भवन के किसी हिस्से का निर्माण हो चुका हो।

c. औद्योगिक इकाई के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र अथवा मशीनरी के लिए फर्म आर्डर दिया जा चुका हो।

(ग) **'तैयार माल'** का अर्थ है वस्तुत: किसी औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादित वह माल जिसके लिए वह पंजीकृत है।

(घ) **'औद्योगिक इकाई'** का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय रूप से संचालित इकाई के अलावा कोई औद्योगिक उपक्रम अथवा पात्र सेवा क्षेत्र इकाई जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।

(ङ) **'विनिर्माण कार्य'** का अर्थ है 'वह कार्य जो निर्जीव भौतिक वस्तु अथवा मद अथवा चीज में परिवर्तन लाता है (i) जिसके परिणामस्वरूप वस्तु, मद अथवा चीज का एक नये तथा विशिष्ट वस्तु अथवा मद अथवा चीज में कायान्तरण होता है जिसका अलग नाम, गुण तथा इस्तेमाल होता है; अथवा (ii) जिससे एक अलग रासायनिक मिश्रण अथवा भिन्न ढ़ांचे के साथ एक नयी तथा विशिष्ट वस्तु, मद अथवा चीज का निर्माण होता है।'

(च) **'योग्य सेवा क्षेत्र इकाई'** सेवा क्षेत्र में एक उद्यम है, जिसमें काफी पूंजी व्यय की आवश्यकता है और इसमें अत्यधिक रोजगार सृजन क्षमता है।

(छ) **'नई औद्योगिक इकाई'**का अर्थ है वह औद्योगिक इकाई जिसने 01 अप्रैल, 2017 को अथवा इसके बाद परन्तु 31 मार्च, 2022 से पहले औद्योगिक ईकाई के रूप में डीआईपीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराया हो। ऐसी ईकाई को पंजीकरण से 18 माह के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन/प्रचालन शुरू करना होगा।

(ज) **'मौजूदा औद्योगिक इकाई'** का मतलब एक औद्योगिक इकाई जिसने 01.04.2017 से पहले व्यावसायिक उत्पादन/प्रचालन शुरू कर दिया है।

(झ) **'पर्याप्त विस्तार'** का अर्थ है - क्षमता विस्तार/ आधुनिकीकरण तथा परिवर्तन के प्रयोजन के लिए औद्योगिक इकाई की संयंत्र एवं मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में कम से कम 25% बढ़ोतरी।

(ञ) **'भौतिक कार्यशील पूंजी'** को फैक्ट्री द्वारा लेखा वर्ष के अंतिम दिवस को अपने स्वामित्व अथवा धारित अथवा नियंत्रणाधीन समस्त भौतिक माल सूचियों यथा सामग्रियां, ईंधन एवं स्नेहक, भंडारण आदि जिसका इस्तेमाल स्वयं फैक्ट्री द्वारा विनिर्मित उत्पाद में अथवा प्रसंस्करण हेतु अन्य को फैक्ट्री द्वारा आपूरित उत्पाद में इस्तेमाल होता है, को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। भौतिक कार्यशील पूंजी में सामग्री भंडार, ईंधन एवं अन्य भंडार आदि, जिसे स्पष्ट तौर पर पुन: बिक्री के लिए खरीदा गया हो, अर्द्ध-तैयार माल तथा अन्यों का प्रगति पर कार्य तथा फैक्ट्री द्वारा बनाया गया माल जो लेखा वर्ष के अंत में बिक्री के लिए तैयार हो, शामिल है। तथापि, इसमें प्रसंस्करण हेतु अन्यों द्वारा फैक्ट्री को आपूरित सामग्री भंडार, ईंधन, भंडार आदि शामिल नहीं है। फैक्ट्री द्वारा आपूरित कच्चे माल से अन्यों द्वारा प्रसंसाधित तैयार माल तथा उनके द्वारा धारित माल को शामिल किया गया है तथा अन्यों द्वारा आपूरित कच्चे माल से फैक्ट्री द्वारा प्रसंसाधित तैयार माल को शामिल नहीं किया गया है।

(ट) **'कच्चा माल'** का अर्थ है तैयार माल के विनिर्माण में किसी औद्योगिक इकाई द्वारा वस्तुत: अपेक्षित तथा इस्तेमाल किया गया कच्चा माल जिसके लिए अनुरोध किया गया है।

(ठ) **'कार्यशील पूंजी'** उपर्युक्त पैरा (झ) में यथापरिभाषित भौतिक कार्यशील पूंजी तथा हस्तगत नकदी तथा बैंक में जमा तथा लेखा वर्ष के अंत में देय राशि पर प्राप्य राशि के निवल शेष की कुल राशि है।

तथापि, अन्य अप्रयुक्त ओवर ड्राफ्ट सुविधा, समयावधि पर ध्यान दिए बिना मियादी जमा, स्थिर परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए अग्रिमों, ऋणों तथा स्वामियों एवं भागीदारों द्वारा उनके प्रयोजन एवं समयावधि पर ध्यान दिए बिना अग्रिम, ब्याज सहित दीर्धावधि ऋणों तथा निवेशों को कार्यशील पूंजी से बाहर रखा गया है।

(ड) **'संयंत्र और मशीनरी'** में स्थल पर स्थापित नए खरीदे गए औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी शामिल होंगे। अन्यत्र से विस्थापित/रिसाइकिल/रिफर्बिश्ड संयंत्र और मशीनरी इस स्कीम के तहत सहायता के पात्र नहीं हैं। स्कीम और किसी विनिर्माण ईकाई में शामिल किए जाने वाले/हटाए जाने वाले घटक **अनुबंध – II** में दिए गए हैं। मशीनरी की खरीद सामान्य मूल्य पर खुले बाजार से की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या यह खरीद नजदीकी प्राप्य मूल्य प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना किसी संबंधित पक्ष से की गई है।

6 पात्र औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे:

1. ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)
2. केंद्रीय व्यापक बीमा राजसहायता (सीसीआईआई)

6.1 एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी जिसके अध्यक्ष सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग होंगे तथा इसमें व्यय विभाग के सचिव तथा नीति आयोग के प्रतिनिधि तथा उस उद्योग के मामले से जुड़े भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य जहां पर इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु इन्सेटिव का दावा करने वाली लाभार्थी इकाई अवस्थित है, के संबंधित मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग) शामिल होंगे। प्रोत्साहनों के प्रस्तावों की जांच करते समय लागत पहलू, परियोजना व्यवहार्यता, बैंक योग्यता तथा प्रोत्साहन प्रदाता जोखिम पूंजी जैसे कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के अंतर्गत आने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.2 ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)

6.2(क) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की कहीं पर भी अवस्थित सभी पात्र नयी औद्योगिक इकाइयों और पर्याप्त विस्तार करने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाइयों को ऋण के लिए (सीसीआईआई) 5 करोड़ रूपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र एवं मशीनरी में पात्र निवेश के 30% के हिसाब से केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

6.2 (ख) डीआईपीपी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा सहायता प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने से पहले किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा परियोजना लागत का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परियोजना रिपोर्ट पर पूंजीगत व्यय और मंजूरी पत्र तैयार होने के संबंध में बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर तथा संयंत्र एवं मशीनरी के काम शुरू करने पर सम्पूर्ण सहायता जारी कर दी जाएगी।

6.2 (ग) सरकार की लागत के बढ़ने की अवस्था में सहायता राशि बढ़ाने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। परियोजना के समय-पूर्व बंद होने अथवा बीच में ही छोड़े जाने की अवस्था में सरकार द्वारा जारी की गई सम्पूर्ण सहायता को डीआईपीपी को लौटाना होगा।

6.3 केंद्रीय व्यापक बीमा राजसहायता (सीसीआईआई)

6.3 (क) हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में किसी भी स्थान पर अवस्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयां और पर्याप्त विस्तार करने वाली विद्यमान औद्योगिक इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए भवन परिसरों तथा संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।

6.3 (ख) बीमा राजसहायता के प्रयोजनार्थ, औद्योगिक इकाई का अर्थ है कोई उद्योग जो अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के अनुसार अग्नि नीति 'ग' में शामिल है। यह नीति प्रस्तावक द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर बीमा कंपनी द्वारा जारी की जाएगी।

7. अनिवार्य अपेक्षा

7.1 इस स्कीम के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि इस स्कीम के अंतर्गत लाभ हेतु पात्रता से पहले सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को इस स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल के जरिए पूर्व पंजीकरण कराना होगा। इस संबंध में, एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया विकसित की जाएगी जिसके अंतर्गत आवेदकों को डीपीआर के साथ आवेदन जमा कराने होंगे।

7.2 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल हेतु अलग से विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

7.3 पंजीकरण/सिद्धांतत: अनुमोदन के संबंध में इस समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक इकाई की प्राथमिक पात्रता, बजट की उपलब्धता पर विचार करेगी तथा इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्रता का निर्णय करेगी। कोई भी औद्योगिक इकाई हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण अथवा लाभों का दावा करने का हक नहीं रख सकेगी बशर्ते कि यह केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित हो। राजसहायता के भुगतान में विलम्ब की वजह को लेकर किसी प्रकार के ब्याज का किसी इकाई द्वारा कोई दावा नहीं किया जा सकता। इस स्कीम के लाभार्थी को इस स्कीम के शर्त तथा निबंधन का अनुपालन करने का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.4 इन इकाइयों को अनुमोदन प्राप्त होने के 18 माह की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।

7.5 जिन ईकाइयों ने 01.04.2017 को अथवा इसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है उन्हें 30.09.2018 तक डीआईपीपी में पंजीकरण की अनुमति होगी।

8. नोडल एजेंसी

8.1 हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एचपीएसआईडीसी) और उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम क्रमश: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए स्कीम के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के संवितरण हेतु एक नोडल एजेंसी होगी। एचपीएसआईडीसी और एसआईडीसीयूएल पात्र औद्योगिक इकाइयों के नामित बैंक खातों में केवल ई-ट्रांसफर के जरिए राजसहायता जारी करेगा।

9. दावों की जांच प्रक्रिया

9.1 डीआईपीपी में पूंजीनिवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत प्राप्त राजसहायता के दावों की एक पंजीकृत स्वतंत्र लेखा-परीक्षा एजेंसी द्वारा पूर्व-समीक्षा की जाएगी। एचपीएसआईडीसी और एसआईडीसीयूएल द्वारा हर बार जारी किए गए दावों के 10% की लेखा परीक्षा पश्चात जांच की जाएगी। डीआईपीपी के मुख्य लेखा नियंत्रक, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जारी किए गए राजसहायता दावों के 20% की लेखा परीक्षा करेंगे।

9.2 सरकार के पास इस स्कीम के किसी भी भाग में जनहित में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

9.3 इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन करने तथा आवश्यक अनुदेश जारी करने की अपेक्षा होगी।

10. केंद्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के अधिकार

10.1 यदि केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संबंधित वित्तीय संस्था को इस बात की पुष्टि हो कि किसी औद्योगिक इकाई ने जाली सूचना देकर धोखे से राजसहायता प्राप्त की है, अथवा यदि यह इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के बाद 5 वर्ष के भीतर उत्पादन बंद कर देती है तो केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल उस इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ऐसी इकाई को अनुदान अथवा राजसहायता लौटाने के लिए कह सकते हैं। यह राजसहायताएं डिजिटल भुगतान के जरिए जारी की जाएंगी तथा एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल लाभार्थी औद्योगिक इकाइयों के संबंध में डीबीटी मिशन द्वारा अपेक्षित सभी सूचना एकत्रित करेगा जो लाभार्थी ईकाई के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से इस संबंध में एक शपथपत्र ले सकता है। स्कीम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाली लाभार्थी ईकाई को राजसहायता के वितरण से पूर्व औद्योगिक ईकाई और एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल के बीच एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

10.2 दी गई सूचना को जान-बूझ कर छुपाने अथवा तीसरे पक्ष के जरिए धोखा करने अथवा गैर-हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड उत्पादन के लिए दावे करने अथवा इसी प्रकार के कदाचार करने पर औद्योगिक इकाई के भावी दावे जब्त कर लिए जाएंगे तथा पूर्व में दी गई सभी राजसहायताओं की वसूली 15% वार्षिक ब्याज की दर के साथ की जाएगी।

10.3 केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)/संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्था के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी औद्योगिक इकाई के स्वामी को आंशिक अथवा समग्र राजसहायता प्राप्त करने के बाद किसी औद्योगिक इकाई के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई के स्वामित्व को परिवर्तित करने अथवा इकाई के आकार में बदलाव करने अथवा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के अंदर इसके कुल तय पूंजी निवेश के बड़े हिस्से को बेचने की अनुमति नहीं होगी। ईकाई द्वारा स्थल अथवा संपर्क सूत्र में किसी परिवर्तन के संबंध में डीआईपीपी को सूचित करना भी अपेक्षित है।

10.4 उन सभी इकाइयों को जिनको एचपीएसआईडीसी/एसआईडीसीयूएल द्वारा राजसहायता वितरित की गई है, दिए गए आशय हेतु सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रपत्र 12 (ग) में राजसहायता के इस्तेमाल का प्रमाण-पत्र औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को संबंधित वित्तीय संस्था/राज्य सरकार द्वारा अंतिम किश्त/पूर्ण राशि प्राप्त होने की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

10.5 राजसहायता प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक औद्योगिक इकाई को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग/संबंधित राज्य सरकार को उत्पादन के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन जारी रखने के संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) प्रस्तुत करनी होगी।

11. विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

डॉ वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग

(ii) हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव।

(iii) हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड राज्य के सचिव (उद्योग)

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (एचपीएसआईडीसी), शिमला

(v) उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसीयूएल), देहरादून

प्रति प्रेषित:

(i) मंत्रिमंडल सचिवालय

(ii) प्रधानमंत्री कार्यालय

अनुबंध - I

निषेध-सूची

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 के अंतर्गत निम्नलिखित उद्योग लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे:

(i) केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से संबंधित हैं।

(ii) केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अंतर्गत आने वाले पान मसाला

(iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस.ओ.705(ई),दिनांक 02.09.1999 तथा एस.ओ.698(ई), दिनांक 17.06.2003 के अंतर्गत विशिष्ट रूप से उल्लिखित के अनुसार 20 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियां।

(iv) पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम,1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला सामान।

(v) पौधरोपण, शोधशालाएं तथा 10 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन इकाइयां।

(vi) कोक (कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक सहित), फ्लाई ऐश, सीमेंट, स्टील रोलिंग मिल।

(vii) पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) अथवा संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाइयां इस स्कीम के अंतर्गत राजसहायता हेतु पात्र नहीं होंगी।

(viii) उच्च कीमत के पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण को छोड़कर भंडारण के दौरान संरक्षण, साफ-सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि-पैकिंग अथवा रि-लैबलिंग, छंटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्धन कार्यकलापों की अनुमति होगी।

(ix) सरकार द्वारा कभी भी आवश्यक समझे जाने पर एक अलग अधिसूचना के माध्यम से निषेध सूची में शामिल कोई अन्य उद्योग/कार्य। यह ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

(x) गोल्ड और गोल्ड डोर ।

अनुबंध-II

क. विनिर्माण क्षेत्र में सीसीआईआईएसी के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना हेतु शामिल किए जाने वाले घटक:

(i) कर और शुल्क सहित औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी की लागत अर्थात विनिर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उत्पादन उपकरण की लागत।

(ii) उत्पादक उपकरण जैसे टूल्स, जिग्स, डाई और मोल्ड, इन्श्योरेंस प्रीमियम आदि की कर और शुल्क सहित लागत।

(iii) संयंत्र की ओर जहां मीटर लगाया गया है, से तैयार वस्तुओं के उत्पादन/डिस्पैच वाले स्थान तक संयंत्र के प्रचालन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रिकल घटक (अर्थात एच.टी. मोटर, एल.टी. मोटर, स्विच बोर्ड, पैनल, कैपेसिटर, रिले, सर्किट ब्रेकर, पैनल बोर्ड, स्विच गियर)।

(iv) आपूर्तिकर्ता के परिसर से इकाई के स्थान तक संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण लाने के लिए भुगतान किया गया मालभाड़ा।

(v) भुगतान किया गया ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम।

(vi) उस स्थान तक माल को ढोने में निवेश की गई राशि जहां कच्चे माल के परिवहन और तैयार माल के विपणन के लिए उसका उपयोग किया गया।

ख. विनिर्माण क्षेत्र में सीसीआईआईएसी के तहत संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना हेतु निम्नलिखित घटकों को शामिल नहीं किया जाएगा:

(i) माल चढ़ाने और उतारने का भाड़ा

(ii) संयंत्र और मशीनरी के लिए शेड/भवन

(iii) डीजी सेट, उत्खनन/खनन संबंधी उपकरण, हैंडलिंग उपकरण, ऊपर क (iii) में जिनका उल्लेख किया गया है, उन्हें छोड़कर अन्य इलेक्ट्रिकल घटकों जैसी विविध नियत परिसंपत्तियां

(iv) कच्चे माल और अन्य उपभोज्य भण्डारों सहित कार्यशील पूंजी

(v) चालू करने संबंधी लागत

(vi) कैपटिव पावर प्लांट

(vii) भण्डारण उपकरण

(viii) वजन तोलने का उपकरण (वे ब्रिज), प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण

ग. विनिर्माण क्षेत्र में उत्थापन एवं स्थापना संबंधी प्रभारों की स्वीकार्यता

उत्थापन एवं स्थापना संबंधी प्रभार का भुगतान, वास्तविक आधार पर किया जाएगा और औद्योगिक इकाई को ऋण प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन टिप्पणी में निर्धारित लागत तक सीमित होगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2018

F. No. 2(2)/2017-SPS.—The Government of India is pleased to announce Industrial Development Scheme for the States of Himachal Pradesh & Uttarakhand to boost industrialization.

1. Scheme title: - The scheme will be called Industrial Development Scheme for Himachal Pradesh (HP) & Uttarakhand, 2017.

2. Coverage: - The scheme will cover the States of H.P & Uttarakhand.

3. Commencement and duration: - It will be effective from 1.04.2017 and will remain in force up to 31.03.2022.

4. Eligibility:

4.1 Unless otherwise specified, all new industrial units and existing industrial units undertaking substantial expansion in manufacturing sector and services sector including Bio-technology and Hydel Power Generation Units upto 10 MW located in the states of H.P. & Uttarakhand will be eligible for incentives under the scheme.

4.2 The scheme shall not be applicable to the industries listed in the **Annexure – I.**

4.3 All eligible industrial units will be entitled to benefits under one or more components of this scheme, even if such units are getting benefits under other schemes of the Government of India.

4.4 Plant and Machinery for the service sector industrial unit shall include cost of construction of building and all other durable physical assets basic to the running of that particular service industry but exclude cost of land and consumables, disposables or any other item charged to revenue.

4.5 New industrial units and existing industrial units on substantial expansion shall be eligible under the scheme. A new unit will be required to fulfil the following conditions:-

(a) it is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.

(b) it is not formed by transfer to the new unit of plant or machinery previously used for any other purpose.

(c) it has not relocated from elsewhere and/or is not an existing unit reopened under a new name and style.

5. Definitions

(a) Commencement of Commercial Production' means starting of manufacture of finished products on commercial scale which is preceded by trial production and installation of complete plant and machinery and on that day the plant must be ready in all respects for manufacture of finished products in commercial quantity and all raw materials, consumables, etc. required for manufacture are available and as per date of registration with Central Excise/Goods and Services Tax (GST) authorities.

(b) 'Effective steps' means one or more of the following steps:-

(i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up.

(ii) that any part of the factory building has been constructed.

(iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.

(c) 'Finished Goods' means the goods actually produced by an industrial unit and for which it is registered.

(d) 'Industrial Unit' means any industrial undertaking or eligible service sector unit, other than that run departmentally by Government, which is a registered business enterprise under Goods & Services Tax.

(e) '**Manufacturing Activity'** means 'an activity which brings about a change in non-living physical object or article or thing (i) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (ii) bringing into existence of a new and distinct object, article or thing with a different chemical composition or integral structure'.

(f) '**Eligible Service Sector Unit'** is an enterprise in the services sector that requires significant capital expenditure and has significant employment generation potential.

(g) 'New industrial unit' means an industrial unit which registers itself on DIPP portal on or after the first day of April, 2017 but not later than 31st day of March, 2022. Such units have to commence commercial production/ operation within 18 months of registration.

(h) 'Existing Industrial unit' means an industrial unit which commences commercial production/ operation before 01.04.2017.

(i) '**Substantial expansion'** means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in Plant & Machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity / modernization and diversification.

(j) '**Physical Working Capital'** is defined to include all physical inventories owned, held or controlled by the factory as on the closing day of the accounting year such as the materials, fuels & lubricants, stores etc., that enter into products manufactured by the factory itself or supplied by the factory to other for processing. Physical working capital also includes the stock of materials, fuels & stores etc., purchased expressly for re-sale, semi-finished goods and work in progress on account of others and goods made by the factory which are ready for sale at the end of the accounting year. However, it does not include the stock of the materials, fuels, stores etc. supplied by others to the factory for processing. Finished goods processed by others from raw materials supplied by the factory and held by them are included and finished goods processed by the factory from raw materials supplied by others are excluded.

(k) '**Raw Material'** means any raw materials actually required and used by an industrial unit in manufacturing of the finished goods for which it is requested.

(l) '**Working Capital'** is the sum total of the physical working capital as defined in Para (j) above and the cash deposits in hand and at bank and the net balance of amounts receivable over amounts payable at the end of the accounting year.

Working capital, however, excludes unused overdraft facility, fixed deposits irrespective of duration, advances for acquisition of fixed assets, loans and advances by proprietors and partners irrespective of their purpose and duration, long term loans including interest thereon and investments.

(m) '**Plant and Machinery'** shall cover the cost of newly purchased industrial plant and machinery as erected at site. Relocated / Recycled / Refurbished plant and machinery is not eligible for assistance under the Scheme. Components to be included / excluded for the purpose of scheme and for a manufacturing unit is at **Annexure II**. The purchase of machinery should be from open market at normal market price. It will be ascertained whether the purchase has been made from a Related Party without following an arms-length price discovery.

6. The following incentives will be provided to eligible industrial units on reimbursement basis:

1. Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)
2. Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)

6.1 There will be an Empowered Committee chaired by Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion with Secretaries of D/o Expenditure, representative of NITI Aayog and Secretary of the concerned Ministries/Departments of Government of India dealing with the subject matter of that industry as its members as also the concerned Chief Secretary/Secretary (Industry) of the State where the beneficiary unit claiming incentive is located for selection of beneficiaries under the scheme. While examining the proposals for

incentive, due consideration will be given to factors like cost disadvantage, project viability, bankability, employment generation and promoters' risk capital. Preference will also be given to eligible industrial units under the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

6.2 Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC)

6.2(a) All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion in the manufacturing and service sector located anywhere in the States of H.P. and Uttarakhand will be provided Central Capital Investment Incentive for access to credit (CCIIAC) @ 30% of the investment in plant and machinery with an upper limit of Rs.5.00 crore.

6.2(b) The project cost will need to be appraised by a Scheduled Commercial Bank or Financial Institution before the proposal of assistance is approved by the Empowered Committee of DIPP. Full assistance will be released on the basis of certificate issued by Competent Authority of the bank that the capex on the project report and sanction thereof is in place and Plant & Machinery has been put to use.

6.2(c) The government does not commit itself to increase in the scale of assistance in case of cost escalation. In case the project is foreclosed or abandoned midway the entire assistance released by government will be refunded to DIPP.

6.3 Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)

6.3(a) All eligible new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion located anywhere in the states of H.P & Uttarakhand will be eligible for reimbursement of 100% insurance premium on insurance of building and Plant & Machinery for a maximum period of 5 years from the date of commencement of commercial production/ operation.

6.3(b) For the purpose of insurance incentive, 'industrial unit' shall mean any industry which is included in Fire Policy 'C' as per All India Fire Tariffs. The policy shall be issued by the Insurance Company on market valuation to be declared by the proposer.

7. Mandatory requirement

7.1 This Scheme requires that all eligible industrial units would have to register under the Scheme with Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, through the DIPP portal prior to being eligible for any benefit under this scheme. In this regard, an online application process shall be developed under which the applicants have to submit applications along with the DPR.

7.2 The Department of Industrial Policy and Promotion would separately issue detailed instructions for the use of online portal for Industrial Development Scheme for H.P & Uttarakhand and registration of eligible units.

7.3 The final grant of registration/in-principle approval will be decided by the Committee, which will, inter-alia, consider the prima-facie eligibility of the industrial unit, availability of budget and decide the eligibility for registration under the Scheme. No Industrial unit will have the right to register under Industrial Development Scheme for H.P & Uttarakhand or claim the benefits unless it is specifically approved by the Central Government. No interest on account of delay in payment of incentive can be claimed by the unit. The beneficiary of this scheme has to furnish an undertaking to abide by the terms and conditions of the scheme.

7.4 The units should start commercial production within 18 months of approval.

7.5 Units which have commenced production on or after 1.4.2017 will be allowed to register with DIPP upto 30.9.2018.

8. Nodal agency

8.1 The Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd.(HPSIDC) and State Industrial Development Corporation of Uttarakhand (SIDCUL) will be the nodal agencies for disbursal of incentives under various components of the Scheme for the States of H.P & Uttarakhand respectively. HPSIDC and SIDCUL will release incentive only through e-transfer to designated bank accounts of the eligible industrial units.

9. Process of Scrutiny of claims

9.1 Incentive claims under Capital Investment Incentive received in DIPP will be pre-scrutinized by a recognized independent audit agency. HPSIDC and SIDCUL will conduct post-audit of 10% of claims released every time. The Chief Controller of Accounts of DIPP will also conduct post-audit of 20% of incentive claims released in each financial year.

9.2 Government reserves the right to modify any part of the Scheme in public interest.

9.3 All concerned Ministries/Department of Government of India are required to amend their respective Acts/ Rules/ Notification etc. and issue necessary instructions for giving effect to these decisions.

10. Rights of the Centre/State Government/Financial Institutions

10.1 If the Central Government/State Government/Financial Institution concerned is satisfied that an industrial unit has obtained incentive(s) by misrepresenting an essential fact, furnishing of false information or if the unit goes out of commercial production/ operation within 5 years after commencement of commercial production/ operation, the Central Government/ State Government / HPSIDC/SIDCUL may ask the unit to refund the grant or incentive after giving an opportunity of being heard to the unit. The incentive(s) will be released through digital payment and would collect all information required by the DBT Mission in respect of beneficiary industrial uni HPSIDC/SIDCUL may take an affidavit in this regard from authorized signatory of the beneficiary unit. An indemnity bond may also be signed between the industrial unit and HPSIDC/SIDCUL prior to disbursement of incentives, providing for undertaking on the part of the beneficiary unit to comply with all the requirements of the scheme.

10.2 Concealment of input supplies or routing of third party or non-Himachal Pradesh/Uttarakhand production for claims or malpractices of similar kinds will render the industrial unit liable for forfeiture of further claims and recovery of all previous subsidies with interest @ 15% per annum.

10.3 Without taking prior approval of the Union Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) /State Government/Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit after receiving a part or the whole of the incentive will be allowed to change the ownership of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or dispose of a substantial part of its total fixed capital investment within a period of 5 years after its going into commercial production. The unit will also be required to keep DIPP informed about change in location or contact information.

10.4 In respect of all units to whom the incentive is disbursed by HPSIDC/SIDCUL, certificate of utilization of the incentive(s) in Form 12(C) of General Financial Rules, 2017 for the purpose for which it was given shall be furnished to the Department of Industrial Policy and Promotion by the financial institution/State Government concerned, within a period of three months from the date of receipt of the last installment/full amount.

10.5 After receiving the incentive(s), each industrial unit shall submit Annual Progress Report (APR) to the Department of Industrial Policy and Promotion/ State Government concerned, about its working for a period of 5 years after going into production.

11. Detailed guidelines shall be issued separately.

Dr. VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Copy for information and necessary action to:

(i) All Ministries/Departments of the Government of India and NITI Aayog.

(ii) Chief Secretary of the State of Himachal Pradesh/Uttarakhand

(iii) Secretary (Industries) of State of Himachal Pradesh/Uttarakhand.

(iv) Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd. (HPSIDC), Shimla.

(v) State Industrial Development Corporation of Uttarakhand,Dehradun

Copy also to:

(i) Cabinet Secretariat

(ii) PMO

Annexure – I

Negative List:

The following industries will not be eligible for benefits under Industrial Development Scheme, for H.P & Uttarakhand 2017:

(i) All goods falling under Chapter 24 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitutes.

(ii) Pan Masala as covered under Chapter 21 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986).

(iii) Plastic carry bags of less than 20 micron as specified by Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 705 (E) dated 02.09.1999 and S.O. 698 (E) dated 17.6.2003.

(iv) Goods falling under Chapter 27 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) produced by Petroleum or Gas refineries.

(v) Plantation, Refineries and Power generating Units above 10 MW.

(vi) Coke (including Calcined Petroleum Coke), Fly Ash, Cement, Steel Rolling Mills

(vii) Units not complying with environment standards or not having applicable Environmental Clearance from M/o Environment & Forests and Climate Change or State Environmental Impact Assessments Authority (SEIAA) or not having requisite consent to establish and operate from the concerned Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board also will not be eligible for incentive under the scheme.

(viii) Low value addition activities like preservation during storage, cleaning, operations, packing, repacking or re-labelling, sorting, alteration of retail sale price etc. take place excluding high value packaging and processing.

(ix) Any other industry/activity placed in negative list through a separate notification as and when considered necessary by the Government. It will be effective from the date of such notification.

(x) Gold and gold dore.

Annexure-II

A. Components to be included for computing the value of Plant and Machinery under CCIIAC in the manufacturing sector :

(i) Cost of Industrial Plant & Machinery including taxes and duties i.e. cost of mother production equipment used for carrying out manufacturing activities.

(ii) Cost of Productive equipment such as tools, jigs, dyes and moulds, insurance premium etc. including taxes and duties.

(iii) Electrical components necessary for plant operation on the plant side from where meter is installed up to the point where finished goods is to be produced/ dispatched (i.e. H.T. Motors, L.T. Motors, Switch Boards, Panels, Capacitors, Relay, Circuit Breakers, Panel Boards, Switchgears).

(iv) Freight charges paid for bringing Plant & Machinery and equipment from the supplier's premises to the location of the unit.

(v) Transit Insurance premium paid.

(iv) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilized for transport of raw materials and marketing of the finished products.

B. Components which will not be considered for computing the value of Plant & Machinery under CCIIAC in the manufacturing sector :

(i) Loading and unloading charges

(ii) Sheds/ buildings for Plant & Machinery

(iii) Miscellaneous fixed assets such as DG sets, Excavation/ Mining equipments, handling equipments, electrical components other than those mentioned at A (iii) above.

(iv) Working Capital including Raw Material and other consumable stores.

(v) Commissioning cost

(vi) Captive Power Plants

(vii) Storage equipments

(viii) Weigh bridge, Laboratory testing equipment.

C. Admissibility of erection and installation charges in the manufacturing sector

Erection and installation charges will be payable on actual basis and will be restricted to the cost indicated in the Appraisal Note of the Financial Institutions which provided loan to the industrial unit.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.26 18:18:22 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2019/पौष 13, 1940
No. 02] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2019/PAUSHA 13, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2019

फा. सं. 2(2)/2018-एसपीएस.—केंद्र सरकार एतद्द्वारा 'जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017' शीर्षक वाली दिनांक 23 अप्रैल, 2018 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. 2(2)/2018-एसपीएस में निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. अधिसूचना सं.2(2)/2018-एसपीएस दिनांक 23.04.2018 का पैरा–3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

   पैरा-3 आरंभ और अवधि – यह 15.06.2017 से प्रभावी होगी तथा 31.03.2020 तक लागू रहेगी। (i) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति (ii) आयकर (आईटी) प्रतिपूर्ति (iii) परिवहन प्रोत्साहन (टीआई) और (iv) रोजगार प्रोत्साहन (ईआई) उन इकाइयों पर भी लागू किए जाएंगे जो योजना के अंतर्गत पंजीकृत होंगी। ये लाभ 31.03.2020 तक उपलब्ध रहेंगे।

2. पैरा सं. 4.4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

   4.4 योजना के सभी घटकों से होने वाले कुल लाभ, संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश की सीमा के अध्यधीन होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 200.00 करोड़ रुपए प्रति इकाई होगी। सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण तथा सभी अन्य टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों की लागत शामिल होगी जो कि उस विशेष सेवा उद्योग के संचलन के लिए आधारभूत आवश्यकता है लेकिन इसमें भूमि तथा उपभोज्य, डिसपोजेबल वस्तुओं अथवा राजस्व के लिए प्रभारित कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी।

3. पैरा सं. 6 के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

6.5 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति

सभी नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां, निम्नलिखित शर्त के अधीन, वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए सीजीएसटी तथा आईजीएसटी में केंद्रीय अंश की

सीमा तक जम्मू एवं कश्मीर में विनिर्मित तैयार उत्पादों पर भुगतान किए गए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी:

तैयार वस्तुओं पर जीएसटी प्रतिपूर्ति, निविष्टि कर ऋण नियमावली (इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स), 2017 के अंतर्गत निविष्टि कर ऋण के उपयोग के माध्यम से भुगतान किए गए कर राशि को छोड़कर, सिर्फ भुगतान किए गए निवल जीएसटी पर ही लागू है।

6.6 आयकर (आईटी) प्रतिपूर्ति

इस योजना के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाई, उसके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के वर्ष सहित पहले 5 वर्षों के लिए आयकर में केंद्रीय अंश की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है।

6.7 परिवहन प्रोत्साहन (टीआई)

सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयां तथा पर्याप्त विस्तार करने वाली मौजूदा औद्योगिक इकाइयां, वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन आरंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए रेलवे अथवा रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, आंतरिक जल मार्ग अथवा निर्धारित एयरलाइंस के माध्यम से सिर्फ तैयार वस्तुओं के परिवहन पर प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे वास्तविक रसीद प्रस्तुत करें। विभिन्न माध्यमों से परिवहन प्रोत्साहन की शर्तें एवं निबंधन निम्नानुसार हैं:-

(क) औद्योगिक इकाई की अवस्थिति के निकटम रेलवे स्टेशन से क्रेता की अवस्थिति के निकटतम रेलवे स्टेशन तक तैयार माल की रेल द्वारा ढुलाई हेतु रेलवे अथवा रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा वर्तमान में प्रदत्त प्रोत्साहन सहित परिवहन लागत के 20% तक।

(ख) औद्योगिक इकाई की अवस्थिति के निकटतम पत्तन (पोर्ट) से क्रेता की अवस्थिति के निकटतम पत्तन तक भारत के आंतरिक जल-मार्ग प्राधिकरण के माध्यम से तैयार माल की ढुलाई की लागत का 20%।

(ग) उत्पादन के स्थान के निकटतम हवाई अड्डे से क्रेता के निकटतम, देश के किसी भी हवाई अड्डे तक क्षयशील वस्तुओं/माल (आईएटीए) हेतु डीजीसीए द्वारा अनुमोदित गैर-अधिसूचित प्रचालक अनुमति (एनएसओपी) धारक तथा निर्धारित एयरलाइंस द्वारा हवाई माल भाड़े संबंधी ढुलाई की लागत का 33%।

6.8 रोजागर प्रोत्साहन (ईआई)

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में नियोक्ता के 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदान जिसे सरकार वहन करती है के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के अतिरिक्त 3.67% अंशदान का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि संबंधित दावा पीएमआरपीवाई के अंतर्गत पहले ही आच्छादित न हो।

4. अधिसूचना सं. 2(2)/2018-एसपीएस दिनांक 23.04.2018 के अन्य प्रावधान तथा अनुलग्नक अपरिवर्तित रहेंगे।

अतुल चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2019

F. No. 2(2)/2018-SPS.—The Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India Notification No. 2(2)/2018-SPS dated the 23rd April, 2018 titled 'Industrial Development Scheme for the State of Jammu & Kashmir, 2017'.

1. Para-3 of Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018 may be substituted as under:

Para-3 Commencement and duration – It will be effective from 15.06.2017 and will remain in force up to 31.03.2020. (i) Goods and Services Tax (GST) Reimbursement, (ii) Income Tax (IT) Reimbursement, (iii) Transport Incentive (TI) and (iv) Employment Incentive (EI) shall also be extended to the units which register under the scheme. Benefits will be available upto 31.03.2020.

2. Para no. 4.4 may be substituted as under:

4.4 The total benefits from all components of the scheme put together shall be limited to the total investment in plant and machinery subject to a maximum limit of Rs. 200.00 crore per unit. Plant and Machinery for the service sector industrial unit shall include cost of construction of building and all other durable physical assets basic to the running of that particular service industry but exclude cost of land and consumables, disposables or any other item charged to revenue.

3. Under para No.6, the following may be added:

6.5 Goods and Services Tax (GST) Reimbursement

All New industrial units and existing industrial units undertaking substantial expansion shall be eligible for reimbursement of Goods and Services Tax (GST) paid on finished products manufactured in Jammu & Kashmir up to the extent of Central share of the CGST and IGST for period of 5 years from the date of commencement of commercial production subject to the following condition:

GST reimbursement on finished goods is applicable only on the net GST paid, other than the amount of Tax paid by utilization of Input Tax credit under the Input Tax Credit Rules, 2017.

6.6. Income Tax (IT) Reimbursement

The industrial unit set up under this scheme can claim reimbursement of Central share of income tax for first 5 years, including the year of commencement of commercial production by the unit.

6.7. Transport Incentive (TI)

All eligible new industrial units and existing industrial units undertaking substantial expansion can avail incentive on Transportation of only finished goods through railways or the railway public sector undertaking, inland waterways or scheduled airlines for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production / operation, subject to production of actual receipt. The terms and conditions of transport incentive through different modes are as follows:-

(a) Upto 20% of the cost of transportation including the incentive currently provided by railways or the railway PSUs for movement of finished goods by rail from the railway station nearest to the location of industrial unit to the railway station nearest to the location of the buyer.

(b) 20% of the cost of transportation for finished goods for movement through Inland Waterways Authority of India from the port nearest to the location of industrial unit to the port nearest to the location of the buyer.

(c) 33% of the cost of transportation of Air Freight by scheduled airlines and non-scheduled operator permit (NSOP) holders approved by DGCA for perishable items / goods (IATA) from the airport nearest to the place of production to any airport within the country, nearest to the location of the buyer.

6.8. Employment Incentive (EI)

DIPP shall be paying additional 3.67% of the employer's contribution to Employees' Provident Fund (EPF) in addition to Government bearing 8.33% Employee Pension Scheme (EPS) contribution of the employer in the Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY),to the extent the claim is not already covered under PMRPY.

4. The other provisions and Annexures in the Notification No. 2(2)/2018-SPS dated 23.04.2018 shall remain unchanged.

ATUL CHATURVEDI, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.01.07 22:25:01 +05'30'